फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

हीरा पिता भूरा नाथ नि. ओडिया खेडा

बनाम

सुरेन्द्र पिता लालाराम मीणा नि. ओडिया खेडा आदि

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल आर ए मुकदमा नं 5/3

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अफसर
23.05.22	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। पत्रावली [illegible] किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि **ग्राम ओडिया खेडा प. ह. भरणीकलां तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 549/465 कुल किता 1 रकबा 1.9425 हैक्टेयर** स्थित है। उक्त [illegible] के पडौसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने [illegible] पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त [illegible] पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक प्रार्थी [illegible] एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी [illegible] हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि **ग्राम ओडिया खेडा** प. ह. भरणीकलां तहसील **जहाजपुर में स्थित आ. न. 549/465 कुल** किता 1 रकबा 1.9425 **हैक्टेयर** की पडोसियान की उपस्थिति मे पत्थरगढी करने हेतु [illegible] अभिलेख निरीक्षक रोपां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिशन फीस 1000– रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा कराये। पालना हेतु [illegible] जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 23.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)

Scanned with CamScanner